



## प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत दिनांक 28.02.2023

हत्या की घटना कारित करने वाले आरोपी कपिल को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ आजीवन कारावास व 52 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा ।

### कार्यवाही -

अवगत कराना है कि अभियुक्त कपिल पुत्र तेजपाल निवासी ग्राम काठा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत द्वारा वर्ष-2012 में हत्या की घटना कारित की गयी थी। जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0- 373/2012 धारा 302 भादवि व मु0अ0सं0 435/2012 धारा 25/4 आर्म्स एक्ट पंजीकृत हुआ था। इन अभियोगों में मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 28.02.2023 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज कोर्ट नं0 04 जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त कपिल को दोषी पाते हुए धारा 302/34 भादवि में आजीवन कारावास व 50 हजार रुपये के अर्थदण्ड व धारा 25/4 आर्म्स एक्ट में 01 वर्ष का कठोर कारावास व 02 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

### दोषसिद्ध अपराधी का नाम व पता-

कपिल पुत्र तेजपाल निवासी ग्राम काठा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

### अभियुक्त कपिल का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 119/08 धारा 395/412 भादवि थाना खेकडा जनपद बागपत।
2. मु0अ0सं0 187/08 धारा 147/148/149/307/411 भादवि थाना दोघट जनपद बागपत।
3. मु0अ0सं0 189/08 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना दोघट जनपद बागपत।
4. मु0अ0सं0 373/12 धारा 302/34 भादवि थाना बागपत जनपद बागपत।
5. मु0अ0सं0 435/12 धारा 4/25 शस्त्र अधि0 थाना बागपत जनपद बागपत।

6. मु0अ0सं0 1157/15 धारा 147/323/506 भादवि थाना बागपत जनपद बागपत ।

7. मु0अ0सं0 177/17 धारा 302/34 भादवि व 7 सीएलए एक्ट थाना बागपत जनपद बागपत । 8. मु0अ0सं0 218/17 धारा 4/25 शस्त्र अधि0 थाना बागपत जनपद बागपत ।

9. मु0अ0सं0 641/17 धारा 2/3 गैंगस्टर अधि0 थाना बागपत जनपद बागपत ।

10. मु0अ0सं0 149/20 धारा 147/148/302/307/324/504 भादवि थाना बागपत जनपद बागपत ।



**प्रेस नोट**

**थाना रमाला**

**दिनाँक 28.02.2023**

**थाना रमाला पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 353/22 धारा 323/325/504/341  
भादवि में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।**

### संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 20.12.2022 को थाना रमाला पर वादी श्री अनीस पुत्र अय्युब निवासी ग्राम किरठल थाना रमाला ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तगण समीर उर्फ भूरा व आशु पुत्रगण मीरहसन निवासी किरठल थाना रमाला द्वारा उसको



कब्रिस्तान के पास रोककर उसके साथ गाली-गलौच करते हुये मारपीट की, जिससे वादी का हाथ टूट गया । इस संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना रमाला पर मु0अ0सं0 353/22 धारा 323/325/504/341 भादवि पंजीकृत किया गया था ।

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 353/22 धारा 323/325/504/341 भादवि में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

समीर उर्फ भूरा पुत्र मीरहसन निवासी ग्राम किरठल थाना रमाला जनपद बागपत।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री अमर सिंह थाना रमाला ।
- 2- का0 1104 चक्रपाल थाना रमाला ।
- 3-का0 621 प्रदीप कुमार थाना रमाला ।



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत दिनांक 28-02-2023

**थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।**

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार वारंटी/अभियुक्त का नाम व पता-

बाबू पुत्र इशाक निवासी गांव बाघू थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री आदित्य कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

2-है0का0 173 रिकू थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।